कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक- 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / सा.स्था.–05 / 181 / 2025–26 / 11205 नवा रायपुर, दिनांक 26 / 12 / 2025

–:: **आदेश** ::–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / सा. स्था.05 / 146 / 2022 / 10408 दिनांक 24.02.2022 एवं आदेश क्रमांक / सा.स्था. 05 / 146 / 2024 / 9945 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.06.2022, 30.06.2023 एवं 16.01.2025 को आयोजित की गई थी।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय जांच / आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री विजय कुमार कंवर, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" का प्रकरण बंद लिफाफे में रखा गया था।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–कोरबा के आदेश क्रमांक विभागीय जांच / 2025–26 / 1249 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा श्री विजय कुमार कंवर, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द", प्री. मैं. आदिवासी बालक छात्रावास नुनेरा, वि.ख.–पाली, जिला–कोरबा पर लगाये गये आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 / 34, 366 / 34, 342 / 34, 346 / 34 एवं 376 (घ) / 34 के आरोपों के संबंध में विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम कोरबा (छ.ग.) के तहत पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री कंवर को निलंबन से बहाल करते हुए प्राथमिक स्तर अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम भैसामुड़ा, वि.ख.–करतला, जिला–कोरबा में पदस्थ कर निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु सेवाकाल मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया हैं।

अतः श्री विजय कुमार कंवर, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" को उपरोक्तानुसार दोष मुक्त होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इनका बंद लिफाफा खोला जाकर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 एवं छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निहित प्रावधानों के आधार पर श्री कंवर, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द", प्री. मैं. आदिवासी बालक छात्रावास नुनेरा, वि.ख.–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 (वेतन बैंड रूपये 5200–20200+2400 ग्रेड वेतन) से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''स'' पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 (वेतन बैंड रूपये 9300–34800 + 4200 ग्रेड वेतन) के पद पर उनके कनिष्ठों को दी गई पदोन्नति के ऊपर आदेश दिनांक 09.06.2022 से **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारण करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देते हुये पदोन्नत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

26/12/2025

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक/सा.स्था.–05/181/2025–26/ 11206 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2025
प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, **मान. मंत्री,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, **प्रमुख सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर,** जिला–कोरबा (छ.ग.) छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. **सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास, जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. **जिला कोषालय अधिकारी,** जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. **श्री विजय कुमार कंवर,** छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द", प्री. मैं. आदिवासी बालक छात्रावास नुनेरा, वि.ख.–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner